पत्र संख्या-/विधि-1(1)/बी-6-पत्थर बोल्डर सामान्य-287(11-12)-695/ **1112047** /वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: **अगस्त 16** ,2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आयुक्त झांसी मण्डल द्वारा अपने अ0शा0प0सं0-61/30-वि0सहा0(2010-11) दिनांक 4-7-2011 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा स्टोन, स्टोन बैलास्ट, बजरी आदि लघु खनिजों से सम्बन्धित मामलों में परिपत्र संख्या- विधि-1(1)/बी-6-(2000-2001)-59 दिनांक 17-4-2000 एवं पत्र संख्या-विधि-1(1)/बी-6-(2000-2001)-2001 दिनांक 14--01-2002 को आधार बनाकर रायल्टी की धनराशि का ढाई गुना बिक्री का टर्नओवर निर्धारित करते हुए कर निर्धारण किया जा रहा है जबकि उक्त वस्तुओं का वास्तविक विक्रय मूल्य रायल्टी की धनराशि के ढाई गुने से बहुत अधिक होता है। उक्त पत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा इन वस्तुओं के निर्धारित शैड्यूल आफ रेट को भी संदर्भित किया गया है।

2- मुख्यालय के उपरि संदर्भित परिपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनमें रायल्टी की धनराशि का ढाई गुना बिक्री का टर्नओवर निर्धारित करने हेतु निर्देशित नहीं किया गया है अपितु यह उल्लिखित किया गया है कि "यदि कोई व्यक्ति पट्टेदार/ठेकेदार के रुप में कर का भुगतान करता है तो यह देख लिया जाये कि यह भुगतान रायल्टी के आधार पर किया जा रहा है या विक्रय मूल्य पर क्योंकि उक्त वस्तु उपभोक्ता के बिन्दु पर कर देय है जिसका मूल्य रायल्टी के आधार पर `240/- प्रति ट्रक होगा जबकि लाभ खर्च आदि जोड़कर मूल्य लगभग `600/- प्रति ट्रक आयेगा।" इस प्रकार प्रति ट्रक रायल्टी एवं विक्रय मूल्य का सम्बन्ध दृष्टान्त रुप में उल्लिखित है। अत: कर निर्धारक अधिकारियों द्वारा वास्तव में मुख्यालय के उक्त परिपत्रों का आशय उचित रुप से नहीं लिया जा रहा है और उक्त वस्तुओं के वास्तविक विक्रय मूल्य की गणना उचित रुप से न किये जाने के कारण राजस्व की क्षति सम्भावित है।

3- रायल्टी की धनराशि के सापेक्ष विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में कतिपय सम्भागों/जोन्स से सूचनाऐं प्राप्त की गयी हैं। तद्नुसार मिर्जापुर सम्भाग में दिनांक 2-6-2009 से प्रभावी गिट्टी की रायल्टी `48/- प्रति घनमीटर है जिसकी तुलना में व्यापारियों द्वारा सामान्यतया `200/- से `300/- प्रति घनमीटर विक्रय मूल्य घोषित किया गया है और बाजार मूल्य तो इससे भी अधिक `400/- से `450/- प्रति घनमीटर पाया गया है। इसी प्रकार जोन इटावा में रायल्टी का 8 से 12 गुना और जोन आगरा में रायल्टी का लगभग दस गुना एवं झांसी लोक निर्माण विभाग के शैड्यूल आफ रेट पर लगभग 15 गुना विक्रय मूल्य होने की सूचना प्रदान की गयी है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के दृष्टिगत रायल्टी का ढाई गुना बिक्री का टर्न ओवर मानना औचित्यपूर्ण नहीं है।

4- अत: मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या- विधि-1(1)/बी-6-(2000-2001)-59 दिनांक 17-4-2000 एवं पत्र संख्या- विधि-1(1)/बी-6-(2000-2001)-2001 दिनांक 14--01-2002 को परिमार्जित करते हुए निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1- पट्टा धारकों के मामलों में उन्हें प्रपत्र एम0एम0 11 जारी किया जाता है और जारी करते समय रायल्टी प्राप्त की जाती है । अत: स्टोन, स्टोन बैलास्ट, गिट्टी, बजरी, पत्थर, पटिया आदि के व्यापारियों का कर निर्धारण / अस्थाई कर निर्धारण करते समय लोक निर्माण विभाग आदि सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित दरों (Schedule of Rates) को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा -2(ए डी) एवं 2 (ए क्यू) में "विक्रय मूल्य" व "टर्नओवर" की परिभाषा तथा वाद से सम्बन्धित अन्य समस्त सुसंगत तथ्यों को भी ध्यान में रखते हुए विक्रय धन निर्धारित किया जाये ।

2- नीलामी ग्रहीता व्यक्ति नि: शुल्क एम0एम0 11 प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है और ऑक्सन मनी जमा करने के उपरान्त सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है तथा एम0एम0 11 के आधार पर खनन उत्पाद की मात्रा का घन मीटर में गणना करके रोक लगाने का अधिकार नहीं रहता है । अत: नीलामी ग्रहीता व्यक्ति द्वारा प्राप्त एम0एम0 11 में से जितनी संख्या में एम0एम0 11 प्रयुक्त की गयी है और उससे जितने घनमीटर खनिज उत्पाद की मात्रा की बिक्री की गयी है, उसकी सूचना प्राप्त की जा सकती है । अत: तद्नुसार खनिज उत्पाद की बिक्रीत मात्रा के आधार पर उप प्रस्तर 1 में उल्लिखित रीति से विक्रय धन का आंकलन किया जाये ।

3- जहॉ अपरिहार्य परिस्थितियों में नीलामी ग्रहीता के अभिलेखों से खनन उत्पाद की मात्रा स्पष्ट न हो सके, वहॉ प्रति ट्रक रायल्टी एवं पट्टा धारकों के मामलों हेतु उपरिवर्णित उप प्रस्तर-1 के अनुसार प्रति ट्रक विक्रय धन के अनुपात को आधार मानकर नीलामी से आच्छादित क्षेत्र में सम्भावित खनिज उत्पाद के मूल्य का आंकलन करके विक्रय धन निर्धारित किया जाये ।

4- मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि कुछ अपंजीकृत पट्टेदारों द्वारा गिट्टी, पत्थर, बोल्डर, मौरंग, बालू इत्यादि का उत्खनन कार्य किया जाता है लेकिन ऐसे व्यापारी वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत नहीं होते हैं और न ही इनके द्वारा मूल्य संवर्धित कर जमा किया जाता है । अत: निर्देशित किया जाता है कि खनन विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग से ऐसे व्यापारियों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना एकत्र कर ली जाये तथा उन पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत पंजीयन सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ सुसंगत प्राविधानों के अनुरुप अन्य आवश्यक कार्यवाही भी की जाये ।

5- अत: कृपया उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को संसूचित करते हुए तथा इनका व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0 नु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0 नु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(8) समस्त डिप्टी कमिश्नर / अस्स्टिेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0 नु0शा0 / स0द0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(9) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
(10) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
(11) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(12) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
(13) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(14) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0 ाडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद।
(15) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10नोयडा ।
(16) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
(17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(18) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में ।
(19) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।
(20) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(21) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293 मीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ ।
(22) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
(23) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उार प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(24) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
(25) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलशफा लखनऊ।
(26) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
(27) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
(28) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
(29) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
(30) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
(31) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
(32) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
(33) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
(34) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर
(35) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
(36) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(37) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
(38) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
(39) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
(40) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुॅजगली,चौक,वाराणसी ।
(41) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
(42) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।

(43) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।

(44) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।

(45) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।

(46) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।

(47) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।

(48) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ

(49) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।

(50) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।

(51) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।

(52) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।

(53) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।

(54) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ ।

(55) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ ।

(56) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।

(57) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।

(58) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।

(59) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

(60) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(61) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(62) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(63) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(64) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।

(65) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूॅं, ।

(66) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(67) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।

(68) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(बी0एन0 द्विवेदी)
ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।